निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–17/2021
दायरा दिनांक :–05.03.2021
निर्णय दिनांक :– 23.12.22

उनवान

प्रेमबाई पत्नी स्व0 श्री भगवानलाल जाति महाजन निवासी अस्पताल रोड तहसील बारां जिला बारां राज0 –प्रार्थीया

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र गोविन्दलाल शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी श्रीजी चौक बारां
2. देवमित्र पुत्र कन्हैयालाल जाति माली निवासी राजपुरा वार्ड बारां जिला बारां
3. श्रीमती धन्नीबाई पत्नीकन्हैयालाल जाति माली निवासी राजपुरा वार्ड बारांजिला बारां
4. प्रकाश पुत्र राजमित्र जाति माली निवासी शिवाजी कॉलोनी बारां जिला बारां
5. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां
6. उपंजीयक अधिकारी बारां जिला बारां –अप्रार्थीगण

प्रर्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 23.12.22

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश मेहता एड0– वादी
2. श्री महेश गौतम एड0– प्रतिवादी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212आर0 टी0 एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि कस्बा बारां पटवार हल्का बारां की आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 खाता सं0 नया 539 पुराना 141 की आराजी खसरा नं0 400 पश्चिमी रकबा 0.24 हे0 स्थित है जो विवादित आराजियात है। आराजी खसरा नं0 400 रकबा 0.24 हे0 के लगवां खसरा नं0 401 रकबा 2.99 हे0 जो वर्तमान में जमाबन्दी के राजस्व रिकार्ड में माफी मंदिर श्री सोमनाथजी विराजमान कोटा के नाम दर्ज है किन्तु इस संदर्भ में प्रार्थीया के व अन्य पक्षकारान के मध्य माननीय उच्च न्यायालय बेंच जयपुर में एस0बी0डब्ल्यू0पी0 नं0 7879/2010 के अन्तर्गत नेशनल लोक अदालत के तहत दिनांक 13–07–2019 को निर्णय के मुताबिक नेशनल लोक अदालत द्वारा राजस्व रिकार्ड में इंतकाल दर्ज कर जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम खसरा नं0 401 रकबा 2.99 हे0 में दर्ज करने के आदेश पारित किये जा चुके है तथा इसके लगवां ही खसरा नं0 399 वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया की पुत्रवधु रेखा गर्ग पत्नी लोकेन्द्रपाल गर्ग जाति महाजन निवासी

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

अस्पताल रोड बारां के नाम दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थीया का कब्जा खसरा नं0 401 व खसरा नं0 400 पर जायज अर्सा 25–30 वर्षो से निरन्तर बदस्तूर आज तक चला आ रहा है खसरा नं0 400 रकबा 0.24 हे0 लंबी पटटी के रूप में है। जिसमें से प्रार्थीया का खसरा नं0 401 के लगवां खसरा नं0 400 के लगभग 0.10 हे0 आराजी पर कब्जा काश्त है। जिसमें इस वर्ष प्रार्थीया द्वारा सरसों की फसल बोई व तैयार की गई है जो वर्तमान में कटी हुई मौके पर पडी हुई है इस प्रकार प्रार्थीया का खसरा नं0 400 रकबा 0.24 हे0 के 0.10 हे0 पर निरन्तर 25–30 वर्षो से कब्जा काश्त होने के आधार पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी प्रार्थीया के खातेदारी हक व हकूक परिपक्व हो चुके है इस आधार परप्रार्थी खसरा नं0 400 रकबा 0.24 हे0 के 0. 10 हे0 पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने की अधिकारणी एवं नालिशी है।

आराजी खसरा नं0 323 रकबा 0.31 हे0 खसरा नं0 348 रकबा 0. 34 हे0 खसरा नं0 349 रकबा 0.14 हे0 खसरा नं0 400 पश्चिमी रकबा 0.24 हे0 कुल 4 किता कुल रकबा 1.03 हे0 के मूल खातेदार कन्हेयालाल पुत्र शंकरलाल जाति माली थे उनके जीवनकाल से ही जायज अर्सा 25–30 वर्षो प्रार्थीया का आज दिन तक बदस्तूर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उसकी जानकारी कल्हैयालाल पुत्र शंकरलाल माली को थी कि खसरा नं0 400 रकबा 0.24 हे0 की 0.10 हे0 आराजी जो खसरा नं0 401 के लगवां पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त चला आ रहा है। कन्हैयालाल के देहान्त के बाद उसके वारिसान को भी उक्त तथ्य की पूर्ण जानकारी थी कि खसरा नं0 400 रकबा 0.24 हे0 के 0.10 रकबे पर प्रार्थीया का कब्जा है फिर भी अप्रार्थी कम 2 ता 4 द्वारा यह जानते हुए भी कि खसरा नं0 400 रकबा 0. 24 हे0 के कुछ हिस्से में कालेज तिराहा से लेकर मेलखेडी की ओर जाने वाला पक्का डामर रोड बना हुआ है। किन्तु आज दिन तक रोड तरमीम नक्शे में नहीं हो रही है। इस प्रकार बिना मौका देखे व बिना मौके पर कब्जा होने की जानकारी अप्रार्थी कम 2 ता 4 को थी उसके बावजूद उनके द्वारा गलत रूप से अप्रार्थी कम 1 को बेचान किया गया है। जबकि मौके पर खसरा नं0 400 रकबा 0.24 हे0 के 0.10 हे0 पर प्रार्थीया का कब्जा है बाकी शेष 0.14 हे0 पर बारां मेलखेडी पक्का डामर रोड़ बना हुआ है। जिसका अप्रार्थी कम 6 उपंजीयक अधिकारी द्वारा बिना मौका देखे पंजीयन किया गया है। जो सर्वथा विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण अप्रार्थी कम 2 लगायत 4 द्वारा अप्रार्थी कम 1 के पक्ष में किया गया बेचान दिनांक 13.07.2020 व उसके आधार पर खोला गया इंतकाल कमांक 1169 दिनांक 22. 01.2020 प्रार्थीया के खिलाफ प्रभाव शून्य होने कारण एवं मौके पर खसरा नं0 400 रकबा 0.24 हे0 के 0.14 हे0 पर बारां मेलखेडी रोड पक्का डामर बना हुआ है तथा 0.10 हे0 पर प्रार्थीया का खसरा नं0 401 के लगवां वाले रकबे पर जायज अर्सा 25–30 वर्षो से कब्जा काश्त होने

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

आधार पर प्रतिकूल कब्जे विक्रय पत्र गलत रूप से निष्पादित किया गया है। जो प्रभाव शून्य होने के कारण निरस्तनीय है व उसके आधार पर खोला गया नामा0 सं0 1169 दिनांक 22.10.2020 भी प्रभाव शून्य होने के कारण काबिज निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार उपंजीयक अधिकारी बारां द्वारा बिना मौका देखे एवं अप्रार्थी कम 2 ता 4 द्वारा उसका कब्जा नहीं होते हुये भी किया गया बेचान विधि सम्मत नहीं होन के कारण प्रार्थीया खसरा नं0 400 रकबा 0.24 में से 0.10 हे0 अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन कराने की अधिकारी है प्रार्थीया के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करने के लिए अप्रार्थी कम 1 राजेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 04.02.21 को मौके पर हल्का पटवारी को सीमा ज्ञान कराने के समय दी गई जिसपर अप्रार्थीया द्वारा उसका कब्जा होने का उसे स्पष्ट रूप से निवेदन किया गया किन्तु उसके द्वारा जबरन कब्जा करने की धमकी दिए जाने पर प्रार्थीया द्वारा अपने अधिवक्ता से सर्पक कर रिकार्ड प्राप्त किया व रिकार्ड प्राप्त हाने के बाद जिला कलक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस प्रेषित कर दिया गया है। प्रार्थीया का वाद/प्रा0 पत्र ठोस तथ्यों पर आधारित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गए तो प्रार्थीया को अर्पूणतया क्षति होगी जिसका मूल्याकंन किया जाना मुद्रा में सम्भव नहीं है।

प्रार्थी का प्रा0 पत्र दर्ज रजि0 कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी कस्बा बारां सम्वत् 2072–75 खाता सं0 485 नकल जमाबंदी ग्राम बारां सम्वत् 2072–75 खाता सं0 539 नकल जमाबंदी ग्राम बारां सम्वत् 2060–63 नकल नक्शा ट्रेस नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2076, नकल विक्रय पत्र दिनांक 13.07.2020 नकल जमाबंदी ग्राम बारां सम्वत् 2072–75 खाता सं0 382 पेश की गई नकल सीमा ज्ञान रिपोर्ट दिनांक 23.06.2021 पेश की गई

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रा0 पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया वकिल प्रार्थी का कथन है कि दावे के तथ्य अनुसार 60 प्रतिशत भूमि पर रोड बना हुआ है इसके बावजूद भूमि का बेचान कर दिया है। खसरा नं0 401 की भूमि मंदिर के नाम है। पूर्व में भूमि मंदिर के खातेदारी में दर्ज थी। प्रेमबाई को राज0 उच्च न्यायालय जयपुर ने खातेदार घोषित किया है हमें भूमि से जबरन बेदखल किया जा रहा है। विवादित आराजी पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त है जो लगभग 25–30 वर्षों से चला आ रहा है प्रार्थीया का खसरा नं0 400 रकबा 0.24 हे0 के 0.10 हे0 पर निरन्तर 20–30 वर्षो से कब्जा काश्त होने से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थीगणों को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि खसरा नं0 400 ही विवादित है इन्होंने सीमा ज्ञान किस खसरे का कराया है इन्होने खसरा नं0 2266/440 की उतरी मेड पर9× 90 मीटर वर्ष 2013 में खरीदी है। क्या रोड पी0डब्ल्यू0डी0 के नाम दर्ज है। क्या भूमि का मुआवजा मिला है। जो भूमि रोड में गई है उसका। प्रार्थी द्वारा दावे के तथ्यों अनुसार वाद पत्र की मद नं0 2 में अंकित है। राजीनामे का अमल क्यों नहीं हुआ। प्रार्थीया 25–30 वर्षों से विवादित भूमि पर अपना कब्जा बता रहे है। प्रार्थीया प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते है। जो प्रथम दृष्टिया खारिज योग्य है। प्रार्थीया द्वारा विवादित आराजी को खरीदना एवं प्रतिकूल कब्जा होना विरोधाभासी अभिवचन है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सारहिन होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बारां सम्वत् 2072–75 खाता सं0 485 के अनुसार खसरा नं0 401 रकबा 2.99 हे0 भूमि माफी मन्दिर श्री सोमनाथ जी विराजमान कोटा के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा बारां सम्वत् 2072–75 खता सं0 539 के अनुसार खसरा नं0 400 रकबा 0.24 हे0 भूमि राजेन्द्र कुमार पुत्र गोविन्द लाल शर्मा जाति ब्राम्हण के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है नकल विक्रय पत्र दिनांक 13.07.2020 के अनुसार देवमित्र पुत्र कन्हैयालाल, श्रीमति धन्नीबाई पत्नी स्व0 कन्हैयालाल, प्रकाश पुत्र राजमित्र द्वारा खसरा नं0 400 रकबा 0.24 हे0 भूमि राजेन्द्र कुमार पुत्र गोविन्द लाल शर्मा को बेचान किया जाना पाया जाता है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा क्रय की गई थी। जो वर्तमान में अप्रार्थी क्रम 1 के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी अप्रार्थीगण के खातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया जिससे प्रार्थीगण का कब्जा काश्त व खातेदारी साबित हो सके। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0ए0 सारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0 एक्ट सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Scanned with CamScanner